न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— कमर चौधरी
आई0ए0एस0

रैफरेन्स प्रा0 पत्र सं0 122/2010

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील महवा जिला दौसा

.. प्रार्थी

बनाम

1. शिवचरण पुत्र रामधन
2. सम्पत्ति पत्नि शिवचरण

जाति मीना निवासी बलीन तहसील महवा जिला दौसा

..अप्रार्थी

रेफरेंस अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम–1956
सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थित: 1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

<u>निर्णय</u> दिनांक 24.05.2023

संक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र रेफरेंस इस प्रकार है कि तहसीलदार महवा ने ग्राम बलीन तहसील महवा के आ0ख0नं0 57/2 रकबा 0.32 है. जो कि भू प्रबंध से पूर्व खसरा नंबर 5 मिन रकबा 0.32है. गैर मुमकिन नदी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से रेफरेंस हेतु निवेदन किया है।

प्रा0पत्र रेफरेंस दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। उभय पक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। ।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में तहसीलदार महवा द्वारा प्रेषित रैफरेन्स के बिन्दुओं दोहराते हुए निवेदन किया कि:—

1. आराजी खसरा नंबर 57/2 रकबा 0.32है. वाके ग्राम बलीन तहसील महवा में स्थित है।
2. आराजी खसरा नंबर 57/2 के भू प्रबंध से पूर्व खसरा नंबर 5 मिन की किस्म जमाबंदी में गैर मुमकिन नदी अंकित थी।
3. भू प्रबंध विभाग ने बिना किसी सक्षम अधिकारी व न्यायालय के आदेश के गैर मुमकिन नदी भूमि की किस्म परिवर्तित कर चाही प्रथम कर दी जिसका भू प्रबंध विभाग को कोई अधिकार नहीं था।
4. गै0मु0 नदी भूमि की किस्म परिवर्तित होकर चाही प्रथम होने पर अप्रार्थी द्वारा तथ्यों को छिपाकर राज0 भू राजस्व (कृषि भूमि आवंटन) नियम 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन सलाहकार समिति की अभिशंषा कराकर तत्कालीन सहायक कलक्टर महवा से दिनांक 4.7.2000 को आवंटन करा लिया जिसका राजस्व रिकार्ड में जरिये नामा0 सं0 60 के द्वारा गैर खातेदारी प्रदान की गई। यह समस्त कार्यवाही भू प्रबंध विभाग द्वारा की गई अवैधानिक कार्यवाही (किस्म परिवर्तन) के कारण हुई है जो निरस्त योग्य है।
5. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन सं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2004 में पारित निर्णय में दिये गये निर्देशों के अनुरूप प्रश्नगत आराजी को पुनः गै0मु0नदी दर्ज किया जाना एवं रिकार्ड पटवार में अंकित सभी प्रविष्टियों को निरस्त किया जाना न्यायोचित एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुकूल है।

.....निरन्तर 2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Chaudhary
Date: 2023.07.28 13:01:53 IST
Reason: SelfAttested
Web Copy - Not Official

रैफरेन्स प्रा0 पत्र सं0 122/2010

अप्रार्थी अथवा उनके अधिवक्ता को बार–2 आवाज दिलवाई किन्तु अप्रार्थी अथवा उनके अधिवक्ता उपस्थित उपस्थित नहीं है। हम गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम बलीन के हाल खसरा नंबर 57/2 रकबा 0.32है. भूमि अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। भूमि की किस्म भू प्रबंध कार्यवाही से पूर्व गै0मु0नदी दर्ज थी जिसको भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान भूमि की किस्म परिवर्तित कर गै0मु0नदी से चाही प्रथम कर दी गई। तत्पश्चात भूमि का आवंटन अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन सलाहकार समिति से करा लिया गया। भूमि वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। साथ ही एकीकरण से पूर्व उक्त भूमि गै0मु0नदी दर्ज थी। जिसको भू–प्रबंध विभाग ने किस्म परिवर्तन कर सिवायचक दर्ज कर दिया गया। किस्म परिवर्तन के कारण उक्त भूमि अप्रार्थीगण को आवंटित कर दी गई। भू–प्रबंध विभाग को किस्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत गै.मु.तालाब, नदी, नाले व जलोढ भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते। आवंटन आदेश व गैर खातेदारी अधिकार अवैद्य होने से प्रभाव शून्य है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा डी0बी0 रिट पिटिशन 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे भी जलोढ भूमि को पूर्व की स्थिति में लाये जाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटित भूमि भू प्रबंध कार्यवाही से पूर्व गै0मु0 नदी होने के कारण आवंटन योग्य नहीं थी। पूर्व पारित कार्यवाही अवैध व प्रभावशून्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार महवा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र रेफरेंस स्वीकार किया जाता है। रैफरेंस माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावें। संबंधित पक्षकारान माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में दिनांक: 07.08.2023 को सुनवाई हेतु उपस्थित हो। पत्रावली बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो । खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 24 मई, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 13:01:53 IST
Reason: SelfAttested